न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 432/2023

निर्णय दिनांक : 24.10.2024

मंजू बनाम तहसीलदार

1. मंजू पुत्री रामकुमार स्त्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना हाल निवासी कासिमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार झुंझुनूं

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन हाल खसरा नं. 507 रकबा 1.67 हैक्टर, खसरा नं. 513 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नं. 515 रकबा 1.13 हैक्टर एवं खसरा नं. 864 रकबा 1.56 हैक्टर राजस्व ग्राम बुडाना तहसील झुंझुनूं में स्थित है। उक्त जमीन में वादिया के पिता का 1/4 हिस्सा था। वादिया के पिता के देहान्त के बाद विरासतन नामान्तकरण संख्या 968 से वादिया की माता सुलोचना एवं भाई राकेश व सुरेन्द्र प्रत्येक के हक में 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड हो गया। उक्त विरासतन नामान्तकरण में वादिया का नाम संहवन से मंजू की जगह रन्जू स्वीकृत हो गया जबकि वादिया का सही नाम मन्जू है। वादिया ने जब प्रतिवादी को नाम दुरूस्त बाबत कहा तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी तब वादिया को न्यायालय में वाद दायर करना पडा।

उक्तानुसार वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस जवाबदेही हेतू तलब किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी गयी। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनियां उपस्थित आये। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में संहवन से लिपिकीय त्रुटि हुयी है अतः रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है। अतः

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम बुड़ाना पटवार हल्का बुडाना तहसील झुंझुनूं में जमीन हाल खसरा नं. 507 रकबा 1.67 हैक्टर, खसरा नं. 513 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नं. 515 रकबा 1.13 हैक्टर एवं खसरा नं. 864 रकबा 1.56 हैक्टर कृषि भूमि में वादिया का नाम रन्जू पुत्री रामकुवार की बजाय मन्जू पुत्री रामकुवार दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

24/10/24

(हवाई सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

उनवान

मन्जू बनाम तहसीलदार

मुकदमा नं. : 432 / 2023 निर्णय दिनांक : 24.10.2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनियां की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24.10.2024 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम बुड़ाना पटवार हल्का बुडाना तहसील झुंझुनूं में जमीन हाल खसरा नं. 507 रकबा 1.67 हैक्टर, खसरा नं. 513 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नं. 515 रकबा 1.13 हैक्टर एवं खसरा नं. 864 रकबा 1.56 हैक्टर कृषि भूमि में वादिया का नाम रन्जू पुत्री रामकुवार की बजाय मन्जू पुत्री रामकुवार दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे हस्ताक्षार एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा मूर्तिब किया गया।

24/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

24/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner